

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा.दी.)

राजस्व लोक अदालत कैम्प भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी:- सुनिता यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :-103/2015 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री लालूराम पिता मीठालाल भील, उम्र बालिग निवासी 34-एकलव्य कॉलोनी, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान) ---वादी

बनाम

1-श्रीमति सविता देवी पत्नि शंकरलाल मीणा, उम्र बालिग निवासी सी-19, मोतीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-श्री हीरालाल पिता मांगू भील, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

3-श्री देबी पिता भागू भील, उम्र बालिग निवासी माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा

4-सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।

5-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

---प्रतिवादीगण

वादी की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 30.5.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

न्याय हित में प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम माधोपुर पटवार हल्का मंडपिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उसी अनुसार भूमि विभाजन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम हक व हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1-श्री लालूराम पिता मीठालाल भील, उम्र बालिग निवासी 34-एकलव्य कॉलोनी, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान) वादी के नाम हक व हिस्से अनुसार निम्न भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
75	-	04 बिस्वा -
76	-	06.10 बिस्वा -
73	2 बीघा	13 बिस्वा -
कुल कित्ता 3 रकबा 3 बीघा		03.10 बिस्वा लगान -

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा (राज.)

श्रीमति सविता देवी पत्नि शंकरलाल मीणा, उम्र बालिग निवासी सी-19, मोतीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 9/15 हिस्सा, श्री देवी पिता भागू भील, उम्र बालिग 1/15 हिस्सा, श्री हीरालाल पिता मांगू भील, उम्र बालिग 1/3 हिस्सा, श्री देवी पिता भागू भील, उम्र बालिग 1/20 हिस्सा, श्री हीरालाल पिता मांगू भील, उम्र बालिग 1/4 हिस्सा निवासीयान माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
71	2 बीघा	12 बिस्वा
72	1 बीघा	11 बिस्वा
73/1	-	05 बिस्वा
76/1	1 बीघा	09 बिस्वा
79	-	01.10 बिस्वा
80	1 बीघा	09 बिस्वा
81	-	10 बिस्वा
82	-	07 बिस्वा
83	1 बीघा	19 बिस्वा
		03 बिस्वा
84	-	13 बिस्वा
कुल किता 1	रकबा 9 बीघा	10.10 बिस्वा लगान -

वहन-इण्डियन ओवर सीज बैंक शाखा भीलवाड़ा हिस्सा सविता देवी।  
श्री लालूराम पिता मीठालाल भील, उम्र बालिग निवासी 34-एकलव्य कॉलोनी, उदयपुर जिला उदयपुर (राजस्थान) वादी 1/4 हिस्सा, श्रीमति सविता देवी पत्नि शंकरलाल मीणा, उम्र बालिग निवासी सी-19, मोतीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) 9/15 हिस्सा, श्री देवी पिता भागू भील, उम्र बालिग 1/20 हिस्सा, श्री हीरालाल पिता मांगू भील, उम्र बालिग 1/4 हिस्सा निवासीयान माधोपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम निम्न भूमि हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	लगान
74	-	01 बिस्वा
कुल किता 1	लगान -	01 बिस्वा लगान -

वहन-इण्डियन ओवर सीज बैंक शाखा भीलवाड़ा हिस्सा सविता देवी।  
उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज व हिस्से अनुसार दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

(सुनिता यादव)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 30.05.2018 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा (राज.)